



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-21082025-265609
CG-DL-E-21082025-265609

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3737]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अगस्त 21, 2025/श्रावण 30, 1947

No. 3737]

NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 21, 2025/SHRAVANA 30, 1947

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 अगस्त, 2025

का.आ. 3842(अ).— जबकि भारत सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि तमिलनाडु राज्य में कोचि-कूटनाड-बैंगलोर-मैंगलोर प्राकृतिक गैस पाइप लाइन के माध्यम से प्राकृतिक गैस के परिवहन के लिए गेल (इंडिया) लिमिटेड द्वारा एक पाइप लाइन बिछाई जानी चाहिए;

और भारत सरकार को उक्त पाइप लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें उक्त पाइपलाइन बिछाए जाने का प्रस्ताव है और जो इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए;

अतः अब, भारत सरकार, पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 के उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उस भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है;

कोई व्यक्ति, जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिस को उक्त अधिनियम की धारा 3 की उप धारा (1) के अधीन भारत के राजपत्र में यथा प्रकाशित इस अधिसूचना की प्रतियों साधारण जनता को उपलब्ध कर दी जाती है, 21 दिनके भीतर, भूमि के नीचे पाइपलाइन बिछाए जाने की संबंध में, सक्षम प्राधिकारी, गेल (इंडिया) लिमिटेड,

होटल अश्व पार्क, 4th फ्लोर, स्टील प्लांट मेन रोड, रेड्डीपट्टी, सेलम, तमिलनाडु- 636302 को लिखित रूप में आक्षेप भेज सकेगा।

**कोच्चि-कुट्टनाड-बेंगलुरु-मंगलुरु पाइपलाइन
(केकेबीएमपीएल)
अनुभाग: सिंगसंदरा से कृष्णागिरी
राज्य: तमिलनाडु**

अनुसूची				
राज्य: तमिलनाडु				
ज़िला	तहसील/तालुक	गांव	सर्वे संख्या	(हेक्टेयर-आर-वर्गमीटर)
1	2	3	4	5
कृष्णागिरी	होसूर	नागोंडापल्ली	611/ 1A2	0.09.50

[फा. सं. एल-14014/23/2023-जीपी-II (ई-47209)]

रामजी लाल मीना, अवर सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th August, 2025

S.O. 3842(E).— Whereas it appears to the Government of India that it is necessary in public interest that for transportation of natural gas through the Kochi-Koottanad-Bangalore-Mangalore Natural Gas Pipeline in the State of Tamil Nadu, a pipeline should be laid by GAIL (India) Limited.

And, whereas it appears to Government of India that for the purpose of laying the said pipeline, it is necessary to acquire the Right of User in the land under which the said pipeline is proposed to be laid and which is described in the Schedule annexed to this notification.

Now, therefore, in the exercise of powers conferred by sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962, (50 of 1962) Government of India hereby declares its intention to acquire the Right of User therein;

Any person interested in the land described in the said Schedule may, within twenty-one days from the date of which the copies of the Notification issued under sub-section (1) of Section 3 of the said Act, as published in the Gazette of India, are made available to the general public, object in writing to the acquisition of the right of user therein for laying of the pipeline under the land to **Competent Authority, GAIL (India) Limited, Hotel Ashwa Park, 4th Floor, Steel Plant Main Road, Near Junction, Reddipatti, Salem, Tamil Nadu- 636302.**

**KOCHI-KOOTTANAD-BANGALORE-MANGALORE PIPELINE
(KKBMP)**

**Section: Singasandra to Krishnagiri
State: Tamil Nadu**

SCHEDULE				
State: Tamil Nadu				
District	Tehsil/Taluk	Village	Survey No.	(Hect. - Are Sq. Mtrs)
1	2	3	4	5
Krishnagiri	Hosur	Nagondapalli	611/ 1A2	0.09.50

[F. No. L-14014/23/2023-GP-II (E-47209)]

RAMJI LAL MEENA, Under Secy.